ग्राम पंचायत मिन्झग्रां, विकास खंड नूरपुर, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश

लेखाओं का अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2015 से 31.3.2018

भाग-एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम–1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवम उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच–एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मिन्झग्रां विकास खंड नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 04/15 से 03/18 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। **अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/ सचिव कार्यरत थे।**

प्रधानः-

क्रंम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1	श्री कुलदीप पाठक	01/04/2015 से 22/01/2016
2.	श्रीमती शुभवाला	23/01/2016 से 31/03/2018

सचिव

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री रणजीत सिंह	01/04/2015 से 30/06/2016
2.	श्री बलदेव सिंह	01/07/16 से 09/08/2017
3.	श्री रजिन्दर कुमार	10/08/17 से 31/03/2018

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत मिन्झग्रां जिला काँगड़ा के अवधि 04/15 से 03/18 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	**पैरा संख्या**	**अनियमितताओं का संक्षिप्तसार**	**राशि (लाखों में)**
1	5	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातो मे अन्तर	3.14
2	7	पंचायत राजस्व की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	0.22

3	9	अनुदान राशियों का अवरोधन	10
4	10	अनियमित व्यय बारे	15
5	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	4.36

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत मिन्झग्रां विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 04/15 से 03/18 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15-05-18 से 18–05–18 तक ग्राम पंचायत मिन्झग्रां के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिये क्रमश: 08/2015,06/2016 ,01/2018 व 10/2015 ,05/2016 ,02/2018 का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत मिन्झग्रां विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा के अवधि 04/15 से 03/18 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि० प्र० शिमला-09 को शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-129 दिनांक-18-05-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत मिन्झग्रां से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:–

ग्राम पंचायत मिन्झग्रां द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/15 से 03/18 के स्वः स्त्रोत व अनुदान लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी जिसका विवरण **परिशिष्ट 1 व 2** में भी दिया गया है:-

1 स्व-स्त्रोत

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2015-16	333703	1284629	1618332	1525092	93240
2016-17	93240	246949	340189	221698	118491
2017-18	118491	327592	446083	343497	102586

2 अनुदान

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2015-16	108383	2564980	2673363	2497212	176151
2016-17	176151	4061305	4237456	3698826	538630
2017-18	538630	4238992	4777622	3782173	995449

कुल योग (1 + 2) = 1098035

दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत मिन्झग्रां द्वारा बैंक में जमा हस्तगत राशि का विवरण :-

क्रमं संख्या	अनुदान का नाम	खाता संख्या	वैंक का नाम	राशि (₹)
1	सामान्य/अन्य	20003062205	के.सी.सी.नूरपुर	164982
2	SDP	50051843552	के.सी.सी. नूरपुर	24283
3	IAY/RGAY/AAY	50051844307	के.सी.सी. नूरपुर	00
4.	14वां वित् आयोग	50051844067	के.सी.सी. नूरपुर	1222299
	हस्तगत शेष			48
	कुल योग			**1411612**

रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तिम शेष में दिनांक 31.3.2018 को अन्तरः– ₹1098035–₹1411612=₹313577

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹3.14 लाख का भारी अन्तर:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मिन्झग्रां द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनाक 31.3.2018 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹313577 का अन्तर रोकड़ बही में कम शेष पाया गया जिसका विवरण पैरा 4 में दिया गया है। अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अतिशीघ्र अन्तर का मिलान किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों को बैंक के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 (क) रोकड़ बही का नियमानुसार रख–रखाव न करनाः–

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड बही में प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा

मासान्त/वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत मिन्झग्रां में रोकड बही के रख रखाव में इन नियमों की अनुपालना नही की गई थी। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) अंकेक्षण अवधि 04/15 से 03/18 के दौरान मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए विकास कार्यों के भुगतान हेतु चयनित माह में प्रस्तुत बिलों/मस्टरोलों के साथ F.T.O./Wages list की प्रति नहीं पाई गई ओर न ही माप पुस्तिका की प्रविष्टि इत्यादि से सम्बंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया जिसके कारण भुगतान की गई राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी । अत: उपरोक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7 (क) पंचायत राजस्व (गृहकर) ₹0.20 लाख वसूली हेतु शेषः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मिन्झग्रां की गृहकर से सम्बंधित ₹19590 की राशि दिनांक 31-03-18 तक शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र० स०	वर्ष	अथशेष	परिवारों की संख्या	दर प्रति परिवार	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
1	2015-16	18530	460	15	6900	25430	शून्य	25430
2	2016-17	25430	460	20	9200	34630	12240	22390
3	2017-18	22390	460	25	11500	33890	14300	19590

अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अतिशीघ्र बकाया राशि की वसूली करनी सुनिशिचित की जाये ।

(ख) **विवाह पंजीकरण शुल्क ₹2715 की वसूली न करना**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मिन्झग्रां द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क नही वसूला जा रहा है, इसके फलस्वरूप पंचायत को राजस्व कि हानि हुई है | अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत द्वारा निधि में ज़मा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये । वर्ष 04/2015 से 10-8-2017 तक पंजीकृत विवाह संख्या एवम कुल राशि जो नहीं वसूली गई को निम्न दर्शाया गया है |

वर्ष	विवाह पंजीकरण रजिस्टर पृ0 स0	पंजीकृत विवाह	वसूली जाने वाली राशि	राशि
2015-16	**31-35**	**18**	**18@5**	**90**
2016-17	**35-36**	**05**	**05@5**	**25**
	37-39	**13**	**13@200**	**2600**
	(1-7-16@200			
			कुल योग	**2715**

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नही किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदान ₹10.00 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–3–18 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹995449 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 निर्माण कार्यों के प्राकलन तैयार किये बिना ही ₹15.00 लाख का अनियमित व्यय करना

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन तैयार किये बिना नहीं किया जा

सकता था । निर्माण कार्यों से सम्बंधित व्यय वोउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिए गये निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹1500000 का व्यय प्राशसनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अत: निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृत से नियमित करवाया जाये अन्यथा किये गये व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये ।

क्रम संख्या	अनुदान का नाम	अवधि	कार्य का नाम	राशि (₹)
1.	14th FC	2016-17	निर्माण रास्ता किंकर सिंह के घर से करनैल जैकरण के घर तक	200000/-
2.	MANREGA	2016-17	निर्माण सड़क मिंजग्रां से सुहाड तक	500000/-
3.	MANREGA	2016-17	निर्माण रास्ता तलब से लेकर गुलाहड़ तक	200000/-
4.	MMGPY	2016-17	निर्माण रास्ता जोरोवल से बस्ती तक	300000/-
5.	14TH FC	2016-17	निर्माण नालियाँ कृपाल सिंह वार्ड- 2	300000/-
			कुल योग	1500000/-

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹4.36 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित हैं। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹436000 के स्टाक औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना किया गया था जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टाक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टाक/स्टोर का स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज करना व उपयोग लेखा तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अभिलेखों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
2 जल प्रभार रजिस्टर
3 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर
4 अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर
5 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर
6 डाक टिकट रजिस्टर
7 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि।
8 वर्गीकृत सार

13 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थाई भण्डार का पुस्तकों में इन्द्राज किया गया था और न ही सत्यापन किया गया था जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 विविध अनियमितायेः–

(क) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण **कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत** द्वारा **नहीं की जा रही है।**

(ख) निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आय **कर, बिक्रीकर, लेबर सेसतथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।**

(ग) ग्राम पंचायत द्वारा **पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अंतर्गत सिटींग फीस का भुगतान किया जाता है । ग्राम पंचायत में इस**

फीस के भुगतान से भाग लेने सबंधित बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बधी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है । अत: इस के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

16 **निष्कर्ष:-** लेखों में बहुत सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)215/2018 खण्ड–1–5979–5982 दिनांक–11.09.18
शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत मिन्जग्रां, विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर,, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881